5 रु. Rs.5 भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES
Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES
कोर्ट फी COURT FEE INDIA Rs.20 TWENTY RUPEES

92

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी — 6107/2018/विदिशा/भू.रा.

1– भागवती बाई पत्नी गौरीशंकर सौनी

2– नारायण प्रशाद पुत्र दयालदास शर्मा

निवासीगण– बरेठ रोड बासौदा जिला विदिशा

3– श्याम पुत्र नर्मदा प्रशाद भावसार निवासी वार्ड क. 5 बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

.............आवेदकगण

श्री लखन सिंह धाकड़ द्वारा आज दि० 10/10/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 30.10.18 नियत।

रीडर ऑफ बोर्ड 10.10.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1– महेन्द्रसिंह पुत्र जमनाप्रशाद चौरसिया

2– भूपेन्द्र पुत्र जमनाप्रशाद चौरसिया
निवासीगण– सावरकर चौक कस्वा बासौदा,
तहसील बासौदा जिला विदिशा म.प्र.

............अनावेदकगण

10.10.18
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

**<u>निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 अनुविभागीय अधिकारी महोदय बासौदा के प्रकरण कमांक 94/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2018 एवं तहसीलदार महोदय बासौदा के प्रकरण कमांक 068/अ–12 /17–18 सीमांकन आदेश दिनांक 09.03.2018 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।</u>**

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

## प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यहकि, प्रतिनिगरानीकर्तागण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष भूमि सर्वे क.

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-6107/2018/विदिशा/भू.रा.

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05-12-18 | आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |